

हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

कार्यसूची

अष्टम् सत्र

शुक्रवार, 20 मार्च, 2015/29 फाल्गुन, 1936(शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. प्रश्नोत्तर:

(1) तारांकित :

दिन के लिए

}

पृथक सूची में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

(2) अतारांकित :

दिन के लिए

}

पृथक सूची में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

2. कागजात सभा पटल पर रखे जाएंगे :

श्री धनी राम शांडिल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, महिला एवं बाल विकास निदेशालय, विधि अधिकारी, वर्ग-II(राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्या:एस जे इ-ए-ए(3)-4/2011 दिनांक 16.10.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 30.10.2014 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

3. सदन की समिति के प्रतिवेदन :

- (1) श्री रविन्द्र सिंह, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2014-15), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे:-
- (i) समिति का 93वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 286वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा योजना विभाग से सम्बन्धित है; और
- (ii) समिति के 80वें मूल प्रतिवेदन (नवम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 335वां कार्रवाई प्रतिवेदन (नवम् विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से सम्बन्धित है।

4. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव:

श्री सुरेश भारद्वाज, शिमला में मैट्रोपोल विधायक सदन के नीचे कार्टरोड पर सड़क टुटने से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्य मन्त्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

शिमला-171 004
दिनांक: 19 मार्च, 2015

सुन्दर सिंह वर्मा,
सचिव।

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)